रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 2001/वैशाख 20, 1923
No. 293] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 2001/VAISAKHA 20, 1923

CENTRAL G. LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2001

का.आ. 397(अ).—बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की अनुसूची का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का.आ. 700(अ), तारीख 28 जुलाई, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 28 जुलाई, 2000 में ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन मास की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 जुलाई, 2000 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप पर जनता से तीन मास की अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 2 में "प्रक्रियाएं" शीर्षक के अधीन;-

(i) मद (11) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(11) भवन और सन्निर्माण उद्योग जिसके अन्तर्गत ग्रेनाइट (मकराना) पत्थरों का प्रसंस्करण और उनकी पालिश करना भी है";

(ii) मद (51) के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(52) इलैक्ट्रोप्लेटिंग;

(53) ग्रेफाइट का चूर्ण करना और उससे आनुषंगिक प्रक्रिया;

(54) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढाना;

(55) हीरों की कटाई और पालिश;

(56) खानों से स्लेट का निस्तारण;

(57) चिरकुट उठाना और अवशोधन।"

[फा. सं. एस-27012/3/97-सीएल]

विनोद वैश, सचिव

पाद टिप्पण- उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए पहली अधिसूचना सं. का.आ. 61, तारीख 23 दिसम्बर, 1986 के तहत जारी की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे:—

(1) का.आ.सं. 404(अ) तारीख 5 जून, 1989

(2) का.आ.सं. 263(अ) तारीख 29 मार्च, 1994

और अन्तिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 36 (अ) तारीख 27 जनवरी, 1999 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi the 10th May, 2001

S.O. 397(E).—Whereas the draft of the proposal further to amend the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) hereinafter referred to as the said Act, was published as required by Secion 4 of the said Act, in the Part-II, Secion 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th July, 2000 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 700 (E), dated the 28th July, 2000 for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby within a period of three months from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the general public on the 31st July, 2000;

And whereas, the objections and suggestions received from the general public within the said period of three months on the said draft were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Child Labour Technical Advisory Committee, hereby makes the following amendments further to amend the Schedlule to the said Act, namely:-

In the schedule to the said Act, in Part B, under the heading "Processes":—

(i) for item (11) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(11) Building and Construction Industry including processing and polishing of granite stones";

(ii) after item (51) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"(52) Electroplating;

(53) Graphite powdering and incidental processing;

(54) Grinding or glazing of metals;

(55) Diamond cutting and polishing;

(56) Extraction of slate from mines;

(57) Rag picking and scavenging".

[F.No. S-27012/3/97-CL]

VINOD VAISH, Secy.

FOOT NOTE:—The first notification to amend the Schedule was issued vide number S.O. 61, dated the 23rd December, 1986 and subsequently the same was amended vide number:—

(1) S.O. No. 404(E) dated 5th June, 1989

(2) S.O. No. 263(E) dated 29th March, 1994

last amended vide notification No 36 (E) dated the 27th January, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.